खेल उद्योगोंकी सुधि

केन्द्र सरकारने खेलका सामान बनाने वाली कम्पनियोंकी स्थिति सुधारने और उन्हें प्रोत्साहित करनेके लिए बड़ा राहतकारी कदम उठाया है, जो स्वागतयोग्य है और इससे इन कम्पनियोंको नयी दिशा मिलेगी। केन्द्र सरकारने खेल क्षेत्रको केवल खिलाड़ियों और खेल सुविधाओंतक सीमित न रखकर खेल-सामानके विनिर्माणको भी रणनीतिक उद्योगोंके रूपमें विकसित करनेकी दिशामें महत्वपूर्ण पहल की है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलने बुधवारको 'खेलो इण्डिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम' को स्वीकृति प्रदान की है और इसके लिए २०२६-२७ से २०३३-३४ तक १,८५६.६७ करोड़ रुपयेका प्रावधान किया गया है। इस योजनाका उद्देश्य बहुआयामी है। भारतमें क्रिकेट बैट, हाकी स्टिक, फुटबाल, जिम उपकरण और अन्य खेल सामग्रीका निर्माण तो लम्बे समयसे हो रहा है लेकिन उद्योग अब भी बड़े पैमानेपर एमएसएमई आधारित और पारम्परिक उत्पादन तकनीकोंपर निर्भर है। सरकारका उद्देश्य इसे आधुनिक, तकनीक आधारित और निर्यातपरक उद्योगमें बदलना है। योजनाके माध्यमसे निवेश उत्पादन, शोध, डिजाइन, कौशल, गुणवत्ता प्रमाणता और निर्यात पूरी मूल्य श्रृंखलाको मजबूत करनेका प्रयास किया गया है। सरकार भारतको उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा कीमत वाले खेल सामानका वैश्विक विनिर्माण केन्द्र बनाना चाहती है। इस योजनाका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा १,१३० करोड़ रुपयेका निवेश एवं उत्पादन प्रोत्साहन है। इसमें बड़े निवेशकोंके लिए एंकर इन्वेस्टमेण्ट सपोर्ट शामिल है। सौ करोड़ या इससे अधिक निवेश करने वाले ऐंकर निवेशकोंको पूंजीगत व्ययके २० प्रतिशततक सहायताका प्रावधान है, जबकि दस करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाले पात्र विनिर्माताओंको कारोबारसे जुड़ा प्रोत्साहन अधिकतम १५ प्रतिशततक मिल सकता है। इसके अतिरिक्त चार मैन्यूफैक्चरिंग जोंस विकसित किये जायंगे। प्रत्येक जोन तीन सौ एकड़से अधिक भूमिका हो सकता है। जालन्धर तथा मेरठ जैसे पारम्परिक केन्द्रोंको विशेष लाभ मिलेगा। इस योजनाका महत्व केवल बड़े उद्योगोंके लिए नहीं है, बल्कि छोटी-छोटी इकाइयोंको भी लाभ मिलेगा। साथ ही खेलके सामानका निर्यात भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त इन उद्योगोंमें रोजगारके अवसर बढ़ेंगे। अनुसन्धान और नये खेलोंके उपकरण इस योजनाका महत्वपूर्ण पहलू है। यह योजना महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। इसपर सरकारको विशेष ध्यान देनेकी जरूरत है। भारतके लिए इस योजनाका व्यापक महत्व है। इसका सम्बन्ध 'मेक इन इण्डिया' से भी है और इससे निर्यात बढ़ेगा।

रक्त केन्द्रोंकी दुर्व्यवस्था

मानव जीवनसे किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे बुनियादी मानकोंकी अनदेखी कर बिना जांच खून दे रहे रक्त केन्द्रोंके संचालनके परिप्रेक्ष्यमें देखा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभागने ऐसे सात रक्त केन्द्रोंके संचालनपर रोक लगा दी, जहां न तो बुनियादी मानकोंका पालन हो रहा था, न ही तापमानका रिकार्ड रखा जा रहा था और न ही इन केन्द्रोंपर रक्त संक्रमणकी जांचकी व्यवस्था थी। ऐसे रक्त केन्द्रोंका बेखौफ संचालन जिला स्वास्थ्य विभाग प्रशासनपर गम्भीर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेशके जिन जनपदोंके रक्त केन्द्रोंपर अनियमितताएं एफएसडीए टीमने पायी, वह स्थानीय अधिकारी भी पा सकते थे। यह गम्भीर चिन्ताका विषय है कि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग प्रशासन इन अनियमितताओंको निगरानी करनेमें अक्षम है। पिछले दिनों एफएसडी विभागने दस जिलोंके ४० रक्त केन्द्रोंका निरीक्षण किया था, जिसमें आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊके सात रक्त केन्द्रोंपर भारी अनियमितताएं मिलीं और उनके संचालनपर तत्काल प्रभावसे रोक लगा दी गयी। एफएसडीए प्रदेशके मात्र दस जिलोंमें निरीक्षण किया, जबकि इसे प्रदेश स्तरपर करना चाहिए था क्योंकि जैसी जानकारी मिल रही है कि उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपनी शिक्षा पूरी करनके लिए अपना रक्त बेच रहे हैं, इसलिए ऐसे रक्त केन्द्रका अन्य जनपदोंमें भी संचालित होनेसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन रक्त केन्द्रोंके संचालनपर सिर्फ रोक लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि इनके विरुद्ध कठोर काररवाई की जानी चाहिए। खून किसीको जीवन रक्षाके लिए उपलब्ध कराया जाता है। बिना संक्रमण जांच किये दिये जानेसे मरीजका जीवन खतरेमें पड़ सकता है। रक्त केन्द्रोंका संचालन किसीकी जिन्दगी बचानेके लिए है, इसे व्यावसायिक दृष्टिकोणसे नहीं देखा जाना चाहिए। यह अमानवीय और अक्षम्य कृत्य है।

लोक संवाद

करियर संवारनेकी राह

महोदय,-सरकारने युवाओंको आत्मनिर्भर बनाने और पढ़ाईके साथ-साथ इनके कौशल विकासके लिए भी एक नयी योजना इंटर्नशिप शुरू की है। इसके लिए सरकारने कुछ बड़ी कम्पनियोंको इसके दायरेमें लानेका भी प्रयास किया है। इन कम्पनियोंमें विद्यार्थियोंको अपने करियरको संवारनेकी राह मिलेगी। इसके लिए सरकार अपनी तरफसे खर्च भी करेगी अर्थात् जो विद्यार्थी इस योजनाको अपनाते हैं, उनकी आर्थिक मदद भी करेगी और विद्यार्थी कम्पनीके कामको सीखेंगे, ऐसा करके या तो अपना कोई बिजनेस कर सकेंगे या कम्पनीमें नौकरी आसानीसे पा सकेंगे। यह योजना तभी कामयाब होगी जब कम्पनियां इस योजनाको सही तरीकेसे अमलमें लायंगी। रोजगारके लिए हर पहलूपर ध्यान देनेकी जरूरत है। **-राजेश चौहान, वाया ईमेल**

विकसित भारतकी नयी आर्थिक गाथा

किसी राष्ट्रकी प्रगति केवल ऊंची इमारतों, चमचमाती सड़कों और बढ़ते सकल घरेलू उत्पादके आंकड़ोंसे नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बातसे तय होती है कि उसकी उद्यमशीलता कितने लोगोंके जीवनको बदलती है, तकनीक कितनी दूरतक पहुंचती है और आर्थिक शक्ति किस सीमातक जनसामान्यकी आकांक्षाओंको पंख देती है।

❑ **ललित गर्ग**

भारतकी विकास यात्रामें रिलायंस समूह और जियोकी कहानी इसी व्यापक परिवर्तनकी ओर ध्यान आकर्षित करती है। भारतके औद्योगिक इतिहासमें टाटा समूहने विश्वास, संस्थागत मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और दीर्घकालीन दृष्टिकी मजबूत विरासत निर्मित की है। दूसरी ओर रिलायंस समूहने बड़े पैमानेपर निवेश, बाजारकी नब्ज पहचानने, तकनीकको जनसुलभ बनाने और नये क्षेत्रोंमें निर्णायक प्रवेश करनेकी क्षमतासे अपनी अलग पहचान बनायी है। दोनों समूह भारतीय अर्थव्यवस्थाके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ऐसेमें रिलायंसका टाटा समूहसे आगे निकलना किसी एककी पराजय और दूसरेकी विजयभर नहीं है, इसे भारतीय उद्योग जगतमें प्रतिस्पर्धाके नये अध्यायके रूपमें देखना अधिक उचित होगा। जियोकी यात्रा एक उल्लेखनीय उदाहरण है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्रमें प्रवेशके बाद उसने इंटरनेट सेवाओंको अधिक सुलभ बनाने, डेटाकी कीमतोंमें व्यापक बदलाव लाने और डिजिटल गतिविधियोंको आम नागरिकतक पहुंचानेमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जियोकी असली उपलब्धि केवल बाजारमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्थामें भागीदारी का दायरा विस्तृत करना है।

रिलायंसके सामने भी भविष्यकी चुनौतियां कम नहीं हैं। निवेशकोंकी अपेक्षाओंपर खरा उतरना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको महत्व देना होगा। आर्थिक विकासका उद्देश्य केवल कुछ कम्पनियोंको वैश्विक शक्ति बनाना नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारोंके जीवनमें स्थिरता लाना होना चाहिए। रिलायंसकी यह आर्थिक छलांग तभी इतिहासमें स्थायी स्थान बनायेगी, जब इसके साथ रोजगार बढ़ेगा, आयकी विषमता घटेगी और समाजके अंतिम व्यक्तितक विकासकी रोशनी पहुंचेगी। यही विकसित भारतका सार है-समृद्ध उद्योग, सक्षम नागरिक और संवेदनशील समाज।

रिलायंस की सफलताको मुकेश अंबानीके नेतृत्वमें विकसित दीर्घकालीन कारोबारी दृष्टि, बड़े निवेश और बदलते समयके अनुरूप व्यवसायका विस्तार करनेकी रणनीतिके संदर्भमें समझना चाहिए। धीरूभाई अंबानीने जिस उद्यमशीलताको व्यापक जन-भागीदारी और पूंजी बाजारसे जोड़नेकी नींव रखी, उसे आगे बढ़ाते हुए समूहने पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, खुदरा व्यापार और दूरसंचार जैसे विविध क्षेत्रोंमें अपनी उपस्थिति मजबूत की। जियोने इस विरासतको डिजिटल युगकी आवश्यकताओंसे जोड़ा। इस यात्राका संदेश स्पष्ट है-समयके साथ जो नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है, जो समयकी आहट पहचान लेता है, वही भविष्यकी दिशा तय करने लगता है। २८ अक्तूबर २०२६ को जियो प्लेटफॉर्म्सकी शेयर बाजारमें ऐतिहासिक सूचीबद्धताने इस यात्राको नया आयाम दिया। लगभग ३०,२१३ करोड़ रुपयेके सार्वजनिक निर्गमके बाद कम्पनीका बाजार पूंजीकरण १२.५ लाख करोड़ रुपयेसे ऊपर पहुंच गया और कारोबारके पहले दिन यह देशकी दूसरी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कम्पनी बन गयी। रिलायंस समूहकी सूचीबद्ध कम्पनियोंका संयुक्त बाजार मूल्य भी टाटा समूहसे आगे निकल गया। ये आंकड़े भारतीय पूंजी बाजारके बदलते स्वरूप और डिजिटल अर्थव्यवस्थामें निवेशकोंके विश्वासको दर्शाते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि बाजार पूंजीकरण कम्पनियोंके मूल्यांकनका पैमाना है, आम नागरिककी समृद्धिका नहीं। शेयर बाजारमें ऊंचाई तभी सार्थक है, जब उसका लाभ अर्थव्यवस्थाकी जड़ोंतक पहुंचे।

इस ऐतिहासिक अवसरपर प्रदत्त अनन्त अंबानीका भावपूर्ण वक्तव्य चर्चाओंमें हैं, उन्होंने इस व्यावसायिक उपलब्धिको पारिवारिक संस्कारों और आध्यात्मिक संवेदनासे जोड़कर अर्थके साथ अध्यात्मके महत्वको उजागर किया है। उन्होंने कारोबारकी तुलना पूजासे और शेयरोंको प्रसादकी तरह देशके साथ साझा करनेकी भावनासे की। उनके शब्दोंमें कृतज्ञता, पारिवारिक विरासत और लाखों ग्राहकोंके योगदानकी स्वीकृति थी। मुकेश अंबानीका भावुक होना भी इस बातका प्रतीक था कि किसी बड़ी उपलब्धिके पीछे वर्षोंका परिश्रम, संघर्ष, विश्वास और पीढ़ियोंके सपने जुड़े होते हैं। यहां एक विचार विशेष रूपसे उल्लेखनीय है-व्यापार केवल लाभ कमानेकी व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास अर्जित करनेका माध्यम भी है। जब कोई कम्पनी अपनी सफलतामें कर्मचारियों, तकनीशियनों, साझेदारों और उपभोक्ताओंके योगदानको स्वीकार करती है, तब उद्यमका मानवीय पक्ष सामने आता है। फलदार वृक्ष जितना ऊंचा होता है, उसकी शाखाओंमें उतनी ही विनम्रता होनी चाहिए। यही विनम्रता किसी कारोबारी साम्राज्यको स्थायी प्रतिष्ठा प्रदान करती है। अनन्त अंबानीकी पशुसेवा और वन्यजीव संरक्षणके प्रति प्रतिबद्धता भी इसी व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्वके सन्दर्भमें देखी जा सकती है। उद्योगकी वास्तविक प्रतिष्ठा तब बढ़ती है, जब आर्थिक प्रगतिके साथ जीवोंके प्रति करुणा और पर्यावरणके प्रति संवेदनशीलता भी आगे बढ़े। दूरसंचार क्षेत्रकी अग्रणी कम्पनी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड (एचएफसीएल) के संस्थापक एवं उद्योगपति महेन्द्र नाहटाने जियोके ऐतिहासिक लांचिंग समारोहमें सहभागिता करते हुए इसे भारतीय आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक संवेदनाका अनूठा संगम बताया। निस्संदेह जियोकी यह उड़ान नये भारतके आत्मविश्वास, नवाचार और विकसित भारतके संकल्पको नयी ऊर्जा देने वाला ऐतिहासिक अध्याय है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके नेतृत्वमें डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान, आधारभूत डिजिटल सुविधाओं और उद्यमशीलताको प्रोत्साहन देने वाली पहलोंने देशके तकनीकी परिवर्तनके लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। इस विकासमें सरकारकी नीतियों, निजी क्षेत्रके निवेश, वैज्ञानिक प्रतिभा और करोड़ों नागरिकोंकी भागीदारीका साझा योगदान है। जियोने इस वातावरणका उपयोग करते हुए डिजिटल संपर्कका विस्तार किया। भारतको दुनियाकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानेका लक्ष्य भी इसी व्यापक विकास यात्राका हिस्सा है। परन्तु आर्थिक आकारके साथ प्रति व्यक्ति आय, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षामें सुधार भी उतना ही आवश्यक है। आगेकी चुनौती और भी बढ़ी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बादल आधारित संगणना, अंतरिक्षसे संपर्क और नयी डिजिटल सेवाओंमें निवेश भारतके लिए व्यापक अवसर पैदा कर सकता है। परन्तु तकनीकका लाभ तभी समावेशी होगा, जब ग्रामीण क्षेत्रोंमें मजबूत संपर्क, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत आंकड़ोंकी गोपनीयता सुनिश्चित की जायगी। दूरसंचार कम्पनियोंको सेवाकी गुणवत्ता, उचित कीमत और उपभोक्ता हितोंके बीच संतुलन बनाना होगा। टाटा, एयरटेल और दूसरे भारतीय उद्यमोंकी प्रतिस्पर्धा भी इस क्षेत्रको अधिक सक्षम बना सकती है।

रिलायंसके सामने भी भविष्यकी कसौटियां कम नहीं हैं। बड़े बाजार मूल्यांकनको निरन्तर नवाचार, टिकाऊ मुनाफे, रोजगार सृजन और जनविश्वासमें बदलना होगा। निवेशकोंकी अपेक्षाओंपर खरा उतरनेके साथ पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको महत्व देना होगा। आर्थिक विकासका उद्देश्य केवल कुछ कम्पनियोंको वैश्विक शक्ति बनाना नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारोंके जीवनमें स्थिरता, सम्मान और अवसर लाना होना चाहिए। वस्तुत: जियोकी उपलब्धि नये भारतकी उस आकांक्षाका प्रतीक है, जो तकनीकमें आत्मविश्वास, व्यापारमें विस्तार और विश्व अर्थव्यवस्थामें नेतृत्व चाहती है। किन्तु मंजिल अभी दूर है। सच्ची सफलता वह नहीं, जहां कुछ लोग शिखरपर पहुंच जायं, सच्ची सफलता वह है, जहां शिखरतक पहुंचनेके रास्ते सबके लिए खुलें। रिलायंसकी यह आर्थिक छलांग तभी इतिहासमें स्थायी स्थान बनायेगी, जब इसके साथ रोजगार बढ़ेगा, आयकी विषमता घटेगी और समाजके अंतिम व्यक्तितक विकासकी रोशनी पहुंचेगी। यही विकसित भारतका सार है-समृद्ध उद्योग, सक्षम नागरिक और संवेदनशील समाज। अनन्त अंबानीने जियोके नाममें छिपे आशीर्वादके भावको जिस आत्मीयतासे अभिव्यक्त किया, वह भारतीय संस्कृति, पारिवारिक संस्कारों और आध्यात्मिक चेतनाका सुन्दर संगम है। उन्होंने कहा कि 'मां कहती है-जियो मेरे लाल, दादी कहती हैं-जुग-जुग जियो और दोस्त कहते हैं-जियो मेरे यार।' इस तरह 'जियो' केवल एक व्यावसायिक नाम नहीं, बल्कि शुभकामना, आशीर्वाद, स्नेह और मंगलकामनाका जीवंत संदेश बन जाता है। जब उन्होंने कारोबारको पूजा और शेयरोंको प्रसादकी संज्ञा दी, तब उन्होंने आर्थिक उपलब्धिको जन-भागीदारी और कृतज्ञतासे जोड़नेका अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सचमुच, जब व्यापारमें आशीर्वादका भाव और सफलतामें समाजकी साझेदारी जुड़ जाय, तब उद्यम केवल समृद्धिका माध्यम नहीं, बल्कि जनविश्वासका उत्सव बन जाता है।

भाषा और लिपिमें अन्तर

लिपियोंके नष्ट हो जानेसे हम अपनी जड़ों, परम्पराओं और संस्कृतिसे भी दूर हो जाते हैं। इसलिए लिपियोंको जिन्दा करनेके लिए ठोस उपाय करनेकी सख्त जरूरत है। तभी हमारी संस्कृति और परम्पराएं बच पायंगी।

❑ **डा. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री**

भाषा और लिपिके अंतरको समझना जरूरी है। हर व्यक्ति कोई न कोई भाषा तो बोलता ही है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह जो भाषा बोल रहा है उसे लिख एवं पढ़ भी सके। उदाहरणके लिए कोई व्यक्ति हिन्दी या पहाड़ी या मंडियाली या किन्नौरी बोल रहा हो लेकिन यदि आप उसे कहें कि आप जो बोल रहे हो उसे लिखकर दिखाओ तो हो सकता है इसमें असमर्थ हो। जब लिख नहीं सकता तब लिखे हुए को पढ़ना तो सम्भव ही नहीं है। यदि भाषाको लिखना हो और बादमें उसे पढ़ना हो तो उसके लिए अक्षरोंकी जरूरत पड़ती है। इन अक्षरोंको ही लिपि कहा जाता है। लेकिन दुनियाभरमें अक्षर तो भिन्न प्रकारके होते हैं। कहीं ए, बी, सी आदि लिखा जा रहा है, कहीं अलफ, बे, पे और कहीं क, ख, ग लिखा जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि दुनियाभरमें अनेक लिपियां प्रचलित हैं और उनके नाम भी अलग-अलग हैं। पंजाबी भाषा जिस लिपिमें लिखी जाती है, उसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। यूरोपकी अधिकांश भाषाएं जिस लिपिमें लिखी जाती हैं, उसे रोमन लिपि कहा जाता है। हिन्दी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और बोड़ो भाषाएं जिस लिपिमें लिखी जाती हैं उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी लिपिका प्रचलन समाप्त हो गया तो उस लिपिमें लिखी हुई हजारों पुस्तकोंको पढ़ना असंभव हो जायगा। इसके कारण ज्ञानका खजाना ही नहीं समाप्त होता, बल्कि वह भाषा बोलने वालोंका अपने पूर्वजोंसे संबंध भी टूट जाता है।

ब्राह्मी लिपिकी यही स्थिति है। आज उसको पढ़ने वाला कोई नहीं बचा है। दस हजार साल पहलेकी सरस्वती-सिन्धु सभ्यताको समझनेमें आ रही मुश्किलोंमेंसे सबसे बड़ी मुश्किल यही है। शिलालेखोंपर ब्राह्मी लिपिमें कुछ खुदा हुआ है। लेकिन वह क्या है, इसे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आज ब्राह्मी लिपिको पढ़ने वाला कोई नहीं है। पीछे तमिलनाडु सरकारने ब्राह्मी लिपि पढ़नेके लिए दस करोड़का ईनाम घोषित किया है। लेकिन हमारा संबंध सप्त सिन्धु क्षेत्रकी एक प्राचीन शारदा लिपिको लेकर है। कश्मीरी भाषा शारदा लिपिमें लिखी जाती थी। यह लिपि इतनी प्राचीन है कि कश्मीरमें तो संस्कृतके अनेक ग्रन्थ भी शारदा लिपिमें लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन जब मध्य एशियासे अरबों, तुर्कों और मुगलों (एटीएम) के आक्रमण शुरू हुए तो उसका पहला शिकार यह सप्त सिन्धु क्षेत्र ही हुआ। हमलावरोंने बाकी जो नुकसान किया वह तो है ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा आक्रमण यहांकी लिपियोंपर हुआ। उन्होंने यहांकी सभी लिपियोंको समाप्त कर सभी भाषाएं अरबी लिपिमें लिखना शुरू कर दीं। बलोची, पश्तो, हिन्दी सब अरबी भाषामें लिखी जाने लगीं। एटीएमके एक अभियानकी शिकार कश्मीरकी अति प्राचीन लिपि शारदा हो गयी। शासकीय प्रयत्नोंके चलते वहां अरबी लिपिका प्रचार और प्रयोग हुआ। भारतमें अबतक अरबी लिपिको फारसी लिपि कहनेका प्रचलन भी हो गया था। इस अरबी फारसी लिपिने शारदा लिपिको खाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कश्मीरमें शारदापर मार तो पड़ी, साथ ही मजहबपर भी मार पड़ी। कश्मीरियोंको बल छलसे इस्लाम मजहब या शिया मजहबमें शामिल किया गया। शिया मजहब या इस्लाम मजहबमें गये कश्मीरियोंने शायद सोचा होगा कि अपना मूल मजहब छोड़नेके साथ अपनी शारदा लिपिको छोड़ना भी जरूरी है। कश्मीरियोंने अपनी लिपि शारदासे धोखा किया। इस प्रकार वे अपनी विरासत और अपने पूर्वजोंसे दूर होते गये। कश्मीरी भाषाके शारदा लिपिमें लिखे हजारों ग्रन्थ कश्मीरियोंके लिए अनजाने हो गये हैं। वे उन्हें पढ़ नहीं सकते। शारदा लिपिको पुन: प्रयोगमें लानेकी बात एक बार फिर उठी थी जब अंग्रेजोंके चले जानेके बाद जम्मू-कश्मीरमें अलग संविधान सभाका गठन हुआ था।

जम्मू-कश्मीरका नया संविधान बन रहा था। उसमें कश्मीरी भाषाकी लिपि शारदाका प्रश्न आया। भाषा विज्ञानके कुछ जानकार सदस्योंने कहा कि कश्मीरी भाषाकी लिपि तो शारदा ही है। उसे ही संविधानमें दर्ज किया जाना चाहिए। उस वक्त जम्मू-कश्मीरपर अरबों, तुर्कों या मुगलोंका राज नहीं था। संविधान सभामें खांटी कश्मीरी नेशनल कान्फ्रेंसका बहुमत था। उस बहुमतने कहा कि कश्मीरी भाषाकी लिपि अरबी होगी, शारदा नहीं। किसीने ठीक ही कहा था, इस घरको आग लग गयी घरके चिरागसे। जिनपर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अब कश्मीरमें कश्मीरी भाषा अरबी लिपिमें लिखी जाती है। शिक्षा संस्थानोंमें अरबी लिपिमें ही पढ़ाई जाती है। लेकिन अब भी इक्का-दुक्का बुजुर्ग लोग कहीं-कहीं शारदा लिपिके जानकार मिल जाते हैं। लेकिन शारदा लिपिको पढ़ सकने वालोंकी संख्या अब मुश्किलसे अंगुलियोंपर ही गिने जा सकते हैं। कश्मीरियोंकी जो पीढ़ी आतंकवादके दिनोंमें कश्मीरसे बाहर चली गयी थी, उनके बच्चोंका तो लिपिकी बात तो दूर, कश्मीरी भाषासे भी नाता टूटता जा रहा है।

शारदा लिपिकी स्थिति भी ब्राह्मी लिपि जैसी बनती जा रही है। इससे ज्ञानकी एक पूरी परम्परा और इतिहास लुप्त हो जायगा। जम्मू-कश्मीरसे अनुच्छेद ३७० तो हट चुका है। अब जरूरत है कि शारदा लिपिमें भी पुन: प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय शायद देशमें एकमात्र विश्वविद्यालय है जो शारदा लिपिमें कश्मीरी भाषाका सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है। सप्त सिन्धु फाऊंडेशनने अभी हालमें शारदा लिपिमें शारदा लोक नामकी कश्मीरी भाषाकी पत्रिका शुरू की है जिसकी लिपि शारदा है। जम्मूमें संजीविनी शारदा केन्द्र भी शारदा लिपिको सिखानेका उपक्रम करता रहता है। लेकिन ये प्रयास ऊंटके मुंहमें जीरेके समान हैं। जम्मू-कश्मीर सरकारको शुरूमें कमसे कम यह व्यवस्था तो जरूर करनी चाहिए कि अरबी लिपिके अलावा शारदा लिपिमें भी लिखनेकी आधिकारिक अनुमति दे। लिपियोंके नष्ट हो जानेसे हम अपनी जड़ोंसे कट जाते हैं। अपनी परम्पराओं और संस्कृतिसे भी दूर हो जाते हैं। इसलिए लिपियोंको जिन्दा करनेके लिए ठोस उपाय करनेकी सख्त जरूरत है। तभी हमारी संस्कृति और परम्पराएं बच पायंगी।

शान्तिका मार्ग

❑ **सुधांशु**

मनुष्यके लिए कल्याणकारी तत्व है शांति। जीवनमें शांति न हो तो कुछ भी नहीं है। जो पल शांतिमें बीत जायं, वे ही सबसे अच्छे लगते हैं। इसीलिए मनुष्य भगवानसे दो ही चीजें मांगता है कि हे भगवान्, हमें सुख-शांति दीजिए, हमारे घरमें सुख-शांति बनी रहे, क्योंकि जिस घरमें शांतिका वास है, वहां उन्नति और विकास है। जिस व्यक्तिके मनमें शांति है, उसका तन स्वस्थ है, उसको ही ठीकसे नींद आयगी, जब नींद ठीकसे आयगी तो सेहत अपने आप ठीक रहेगी, उसके चेहरेपर प्रसन्नता रहेगी और वह फूलकी तरह खिला रहेगा। जीवनमें शांतिके लिए तीन चीजें आवश्यक हैं जिसके जीवनमें नियम है या जिसका जीवन नियमित है, उसकी जिन्दगीमें शांति है। व्यक्ति यदि नियममें नहीं है, जिधर मन हुआ उधर ही भाग लिया, जब मन हुआ तभी चल दिया, जो चाहा वही करने लगा, सारे नियम तोड़कर, सारे कायदे छोड़कर स्वच्छंद व्यवहार करता है, उसके जीवनमें शांति नहीं आयगी। अनुशासन, जो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर अनुशासन करता है, किसीके कुछ कहनेसे, अपना अनुशासन भंग नहीं करता, उसके जीवनमें शांति रहती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अनुशासनकी सारी हदें तोड़ता है दूसरोंको अनुशासनकी शिक्षा देता है, स्वयं मानता नहीं और दूसरोंको समझाना चाहता है, दूसरोंके अनुशासनकी योजना तैयार करता है, न उसे अपनी वाणीपर नियंत्रण है और न अपने कार्योंपर, ऐसा आदमी खुदको ही धोखा देता है। भले ही वह दूसरोंको अशांत करनेमें लगा रहे लेकिन उसके अपने जीवनमें अशांति बनी रहती है। जिसके जीवनमें अनुशासन है, उसीके जीवनमें शांति होगी। शांतिके लिए तीसरी चीज है व्यवस्था। जीवनमें शांतिके लिए व्यवस्थित होना जरूरी है। जो लोग योजनाबद्ध तरीकेसे काम करते हैं, उनकी जिन्दगीमें शांति रहती है। अंतरिक्षमें सारे ग्रह-नक्षत्र तेजीसे घूम रहे हैं, यदि इन सबका हिसाब लगायें तो कितनी हैरानी होती है, इनकी गति इतनी अधिक है लेकिन फिर भी ये आपसमें टकराते नहीं, सब अपने नियमसे घूम रहे हैं। धरतीको ही देख लीजिए साठ हजार किमी प्रति घंटाकी गतिसे सूर्यकी परिक्रमा कर रही है, अनवरत कर रही है। हमारी गाड़ी सौ-डेढ़ सौकी स्पीडपर ही नियंत्रण खोने लगती है, खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इन्हें देवयान या ग्रह-उपग्रह कहिये, ये इतनी गति होनेपर भी नियममें रहते हैं। संपूर्ण प्रकृति एक व्यवस्था और अनुशासनसे बंधी हैं। सभी अपने रास्तेपर चल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं बदलता, इसलिए सब कल्याणकारी हैं। जरा-सा भी नियम यदि ऊपर-नीचे हो जाये तो विस्फोट होगा, विध्वंस होगा। मनुष्यके लिए आवश्यक है कि वह भी अपने जीवनको शांतिमय बनानेके लिए नियम बनाये। तभी जीवनकी समस्त घड़ियां शुभ हो जायंगी।

हरित ऊर्जाकी दिशामें आगे बढ़ना जरूरी

❑ **कांतिलाल मांडोत**

एथेनॉलसे घटेगा विदेशी तेलपर निर्भरताका बोझ लेकिन गाड़ियोंकी कीमत माइलेज और रखरखावपर भी देना होगा ध्यान देशमें पेट्रोलके विकल्पके रूपमें एथेनॉलके इस्तेमालको बढ़ावा देनेकी दिशामें केन्द्र सरकारने एक और कदम उठाया है। जबकि देशमें ऐथेनॉलको लेकर पूर्वमें हंगामा भी बहुत हुआ था। लिहाजा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयने ई-१०० ईंधनसे चलने वाले वाहनोंको अनुमति देनेके लिए मोटर वाहन नियमोंमें बदलावकी अधिसूचना जारी की है। यह फैसला भारतकी ऊर्जा जरूरतों, पर्यावरण संरक्षण और विदेशी तेलपर निर्भरता कम करनेकी व्यापक रणनीतिका हिस्सा है। हालांकि इस नयी व्यवस्थाको केवल हरित क्रांतिके रूपमें देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ वाहनधारकोंकी आर्थिक स्थिति, वाहनोंकी तकनीकी क्षमता, ईंधनकी उपलब्धता और रखरखावसे जुड़ी चुनौतियोंको भी समझना जरूरी है।

देशमें पेट्रोलके साथ एथेनॉल मिलानेकी शुरुआत वर्ष २००६ में हुई थी। बादमें सरकारने इस मिश्रणको बढ़ानेकी नीति अपनायी। पेट्रोलमें २० प्रतिशत एथेनॉल मिलानेकी व्यवस्था ई-२० के नामसे जानी जाती है। सरकारके अनुसार इससे पेट्रोलके आयातपर होने वाला खर्च घटाने और प्रदूषण कम करनेमें मदद मिल सकती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ वाहनधारकोंने ई-२० पेट्रोलके इस्तेमालके बाद माइलेज कम होने और वाहनोंकी कार्यक्षमता प्रभावित होनेकी आशंकाएं जतायी हैं। इन शिकायतोंने आम उपभोक्ताओंके मनमें सवाल खड़े किये हैं कि ईंधनमें बदलावका वास्तविक लाभ किसे मिलेगा और इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ेगी।

ई-१०० और ई-२० के बीच अंतर समझना भी आवश्यक है। ई-१०० का अर्थ ऐसा ईंधन है जिसमें एथेनॉलकी मात्रा लगभग पूरी तरह एथेनॉल आधारित हो। इसमें चलने वाले वाहन सामान्य पेट्रोलसे चलने वाले वाहनोंसे तकनीकी रूपसे अलग हो सकते हैं। सरकारकी अधिसूचनाके अनुसार, ई-१०० का उपयोग उन्हीं वाहनोंमें किया जा सकेगा जिनके इंजन इस ईंधनके अनुकूल बनाये गये हों और जिन्हें इसके लिए प्रमाणित किया गया हो। इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा पेट्रोल वाहनोंमें सीधे ई-१०० भरकर उन्हें चलाया जा सकता है। वर्तमान वाहनधारकोंको इस बातका विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके वाहनके निर्माताने किस प्रकारके ईंधनकी अनुमति दी है। वाहनधारकोंके लिए इस बदलावके संभावित फायदे भी हैं। यदि ई-१०० के अनुकूल वाहन उचित कीमतपर उपलब्ध होते हैं और उनके लिए पर्याप्त ईंधन केन्द्र विकसित किये जाते हैं तो भविष्यमें पेट्रोलके विकल्प बढ़ सकते हैं। एथेनॉल आधारित ईंधनकी कीमत प्रतिस्पर्धी रहनेपर उपभोक्ताओंको ईंधन खर्चमें राहत मिलनेकी संभावना भी बन सकती है। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित उत्पादनसे एथेनॉलकी आपूर्ति बढ़नेपर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानोंको लाभ मिल सकता है। हालांकि वाहनधारकोंको वास्तविक बचतका आकलन केवल ईंधनकी प्रति लीटर कीमतसे नहीं, बल्कि वाहनके माइलेज, रखरखाव और उपलब्धताको ध्यानमें रखकर करना होगा।

सरकारके सामने भी इस नीतिके कई फायदे और चुनौतियां हैं। भारत अपनी तेल जरूरतोंके बड़े हिस्सेके लिए आयातपर निर्भर है। पेट्रोलमें एथेनॉलका मिश्रण बढ़ने और वैकल्पिक ईंधन अपनानेसे कच्चे तेलके आयातमें कमी आ सकती है। इससे विदेशी मुद्राकी बचत होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजारमें तेलकी कीमतोंमें उतार-चढ़ावका असर कुछ हदतक कम किया जा सकेगा। एथेनॉल उत्पादनसे कृषि क्षेत्र, प्रसंस्करण उद्योग और रोजगारके नये अवसर भी पैदा हो सकते हैं। पर्यावरणकी दृष्टिसे भी पेट्रोलके स्थानपर एथेनॉलके इस्तेमालसे कुछ परिस्थितियोंमें कार्बन उत्सर्जन कम करनेमें मदद मिल सकती है। हालांकि वास्तविक पर्यावरणीय लाभ एथेनॉलके उत्पादन, परिवहन और कृषिमें इस्तेमाल होने वाले संसाधनोंपर भी निर्भर करते हैं। इसके बावजूद सरकारके सामने खर्च और संसाधनोंसे जुड़ी चुनौतियां कम नहीं हैं। एथेनॉल उत्पादन बढ़ानेके लिए कारखानों, भंडारण सुविधाओं, परिवहन व्यवस्था और ईंधन वितरण केन्द्रोंका विस्तार करना होगा। ई-१०० के अनुकूल इंजन और वाहन विकसित करनेमें वाहन निर्माता कम्पनियोंको अनुसंधान तथा तकनीकी निवेश करना पड़ेगा। इसका असर शुरुआती दौरमें वाहनोंकी कीमतपर पड़ सकता है। यदि ई-१०० के लिए पर्याप्त बिक्री केन्द्र नहीं बने तो उपभोक्ता वाहन खरीदनेके बावजूद ईंधनकी उपलब्धताको लेकर परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादनमें पानी और कृषि उपजकी जरूरतको ध्यानमें रखना होगा, ताकि खाद्य सुरक्षा और किसानोंकी दूसरी जरूरतोंपर अनावश्यक दबाव न पड़े।

ब्राजील और अमेरिका जैसे देशोंमें फ्लेक्स फ्यूल तकनीकका इस्तेमाल किया जाता है। वहां ऐसे वाहन विकसित किये गये हैं जो निर्धारित सीमाके भीतर पेट्रोल और एथेनॉलके अलग-अलग मिश्रणोंपर चल सकते हैं। भारतमें भी इस तकनीककी संभावनाएं तलाशना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे देशोंका अनुभव अपनाते समय भारतीय परिस्थितियोंका ध्यान रखना होगा। यहां वाहन बाजार, सड़क परिवहन, कृषि संसाधन और ईंधन वितरणकी परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए किसी तकनीककी सफलता केवल सरकारी अनुमतिसे नहीं, बल्कि उसके व्यावहारिक उपयोग और उपभोक्ताओंके अनुभवसे तय होगी। ई-२० को लेकर उठे सवालोंका पारदर्शी समाधान भी जरूरी है। वाहनधारकोंको यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन-सा वाहन किस ईंधनके अनुकूल है, माइलेजपर कितना संभावित असर पड़ सकता है और वारंटी तथा रखरखावकी शर्तें क्या हैं। वाहन निर्माता कम्पनियों और सरकारको शिकायतोंके वैज्ञानिक परीक्षण तथा उनके निष्कर्षोंको सार्वजनिक करनेपर ध्यान देना चाहिए। बिना प्रमाणके हर शिकायतको सही मानना उचित नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओंकी समस्याओंको नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। अंतत: ई-१०० को अनुमति देना भारतकी ऊर्जा नीतिमें एक नया विकल्प खोलता है, लेकिन इसकी सफलताका आधार संतुलित क्रियान्वयन होगा। सरकारको विदेशी मुद्रा बचत, पर्यावरण संरक्षण और किसानोंकी आय बढ़ानेके साथ आम नागरिकके खर्चको भी प्राथमिकता देनी होगी। वाहनधारकोंको तकनीकी जानकारी और भरोसेमंद ईंधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। हरित ऊर्जाकी दिशामें आगे बढ़ना समयकी जरूरत है, परन्तु यह बदलाव ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्यावरणको लाभ मिले, सरकारका आर्थिक बोझ घटे और आम उपभोक्तापर अतिरिक्त खर्चका अनावश्यक भार न पड़े। यही ईंधन नीतिकी वास्तविक सफलता होगी।